रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 1983/ज्येष्ठ 2, 1905
No. 83] NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 1983/JYAISTHA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 22-ई.टी.सी.(पी.एन.)/83

नई दिल्ली, 23 मई, 1983

विषय:—साफ किए हुए और सौंद रहित सिल्क वेस्ट सहित शहतूत के सिल्क वेस्ट की निर्यात नीति

सिल्क सं० 2/19/83-ई]:—आयात एवं निर्यात नीति 1983-84 की जिल्द-2 की नीति विवरण की क्रम सं 62 (iii) (ग) के सामने दर्शाए गए साफ किए हुए और सौंद रहित सिल्क वेस्ट सहित शहतूत के सिल्क वेस्ट की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. शहतूत के सिल्क वेस्ट के सम्बन्ध में नीति विवरण की क्र सं-62 (iii) के सामने के कालम 3 मे दर्शाई गई क्रम सं० (i) में वर्तमान लाईसेंस नीति निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"(i) चर्खा वेस्ट से भिन्न संसाधित वेस्ट सहित शहतूत से बने सिल्क वेस्ट के संबंध में 1:5 अर्थात्, किसी भी सरकारी सिल्क मिल को 5 कि० ग्रा० की सप्लाई के मद्दे संभरक 1 कि ग्रा सिल्क वेस्ट निर्यात करने के लिए अनुमेय होगा "।

रोमा मजुमदार,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 22-ETC(PN)/83

New Delhi, the 23rd May, 1983

Subject : Export Policy of Mulberry Silk Waste including cleaned and degummed silk waste.

File No. 2/19/83-EI.—Reference is invited to the Export Policy of Mulberry Silk Waste including cleaned and degummed Silk waste indicated against Sl. No. 62(iii)(c) of Policy Statement in Volume II of Import and Export Policy 1983-84.

2. *The existing licensing policy at Sl. (i) indicated in Column 3 against* Sl. No. 62(iii)(c) of Policy Statement in resptet of mulberry silk waste shall be substituted by the following :—

"(i) 1:5 in respect of Mulberry silk waste other than charkha waste, excluding processed waste i.e., against the supply of 5 Kg. of silk waste to any of the Government Silk Mills, the supplier will be entitled to export 1 Kg. of silk waste."

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983